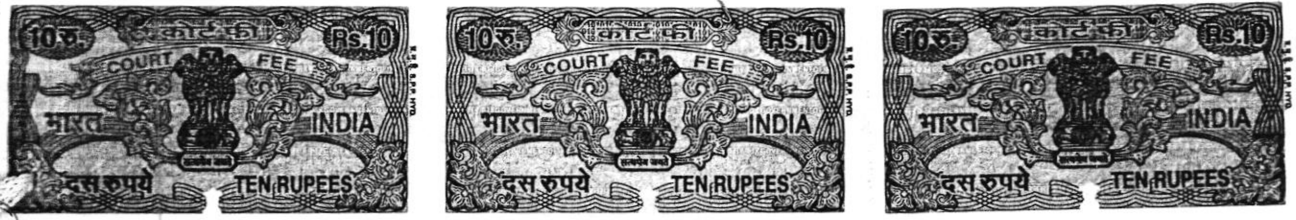

(133)

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मंडल (ग्वालियर) म0प्र0

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/4500

गंगाराम पिता कोदरजी जाति जोशी ब्राम्हण

आयु 62 वर्ष, धन्धा–व्यापार

निवासी–जोशी कालोनी, धार म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा पटवारी जेतपुरा

तह.व जिला धार म0प्र0 ....विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 मुजब

(न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, धार के प्रकरण क्रमांक 1/15–16/अ–39 में पारित आदेश दिनांक 20/09/2017 से असंतुष्ट होकर)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/2017/4500

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-18	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री प्रखर ढेगूंला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता पर सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-9-17 का व अभिलेख का अवलोकन किया गया। आदेश व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक का आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 जा0दी0 का आवेदन को विस्तृत आदेश पारित कर निरस्त किया गया है । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा जिस पूर्व प्रकरण का हवाला दिया है उसकी विषयवस्तु तथा वर्तमान में प्रचलित प्रकरण की विषयवस्तु अलग-अलग धाराओं से संबंधित है । अपर कलेक्टर के इस निष्कर्ष के विपरीत या खण्डन में इस निगरानी में कुछ नहीं कहा गया । इसी प्रकार आवेदक के आदेश 16 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर भी अपर कलेक्टर का निष्कर्ष सही है कि जिस साक्षी का मुख्य परीक्षण ही नहीं हुआ है उसका प्रतिपरीक्षण कैसे होगा । उक्त प्रकाश में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	